न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/15/2017	29—05—2017	13—03—2017

1—रामसिंह पुत्र रामकरण जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

1—लालचन्द पुत्र रामकरण जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2—जगरूपसिंह पुत्र रामकरण जाति अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर
3—तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दिनांक 07.02.13 नामान्तकरण संख्या 1308 ग्राम, करनीकोट तह0 मुण्डावर

उपस्थितः—
01. श्री महेश कुमार यादव —वकील अपीलान्टस
02 श्री गोविन्द राम यादव —वकील रेस्पो0

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 07.02.13 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1308 ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इन्तकाल संख्या 1308 की जानकारी पूर्व में सही प्रकार से नही हो सकी मिन अपीलान्ट यही समझे थे कि मुताबिक रिलीज डीड दिनांक 06.11.2012 के इन्तकाल चढ़ गया होगा। मगर दिनांक 06.05.2017 को पटवारी हलका से सम्पर्क करने पर गलत इन्तकाल दर्ज होने का पता चला दिनांक 09.05.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त की गई। आराजी खसरा न0 1044 रकबा 40 एयर, 1045 रकबा 22 एयर, 1046 रकबा 20 एयर, 353 रकबा 73 एयर, 354 रकबा 19 एयर, 355 रकबा 3 एयर, 356 रकबा 46 एयर, 1101 रकबा 75 एयर, 1102 रकबा 74 एयर, 1306 रकबा 67 एयर, 1307 रकबा 46 एयर, 1308 रकबा 45 एयर, 1309 रकबा 46 एयर, 1310 रकबा 44 एयर वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी में 1/2 भाग मिन अपीलान्ट का है। जो मुझे रामदयाल पुत्र नत्थू अहीर निवासी करनीकोट तहसील मुण्डावर की विरासत से प्राप्त हुई है, तथा 1/2 भाग उक्त आराजी में रामकरण पुत्र नत्थू अहीर का था, जो की मिन अपीलान्ट व रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 व 02 का पिता था। रामकरण के मरने के बाद उसकी विरासत मिन अपीलान्ट रामसिंह तथा सरती, चांदकौर, चंपा, सन्तरा व लालचन्द, जगरूपसिंह पुत्री, पुत्रान रामकरण के नाम दर्ज हुई। उक्त ईन्तकाल खुलने के बाद मिन अपीलान्ट ने रामकरण के हिस्से की आराजी में जो हिस्सा था, तथा सरती, चांदकौर, चंपा, सन्तरा का हिस्सा था, को उन्होने जरिये रिलीज डीड दिनांक 06.11.2012 के लालचन्द, जगरूपसिंह के हक में कर दी, यानी अपना हिस्सा त्याग कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

दिया। इस प्रकार उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा मिन अपीलान्ट व 1/2 हिस्सा रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 व 02 का है। व मौके पर भी इसी प्रकार से काबिज है। उक्त रिलीज डीड के आधार पर जो इन्तकाल दिनांक 07.02.2013 को 1308 दर्ज किया गया, उसमें लालचन्द, जगरूपसिंह पुत्रान रामकरण हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी दर्ज किया गया है। जबकी हिस्सा मुताबिक हकत्याग के दर्ज करना चाहिए था। रामसिंह का हिस्सा हकत्याग के मुताबिक 1/2 सुरक्षित किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 07.02.2013 न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर अलवर तथा नामान्तकरण संख्या 1308 दिनांक 07.02.2013 निरस्त फरमाया जावें।

वकील अपीलान्ट व रैस्पॉडेन्ट तथा स्वय पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया कि विरासत अपीलान्ट रामसिंह व सरती, चंदाकौर, चंपा, सन्तरा, लालचन्द, जगरूपसिंह पुत्री तथा पुत्रान रामकरण के नाम दर्ज हुई उक्त इन्तकाल खुलने के बाद मिन अपीलान्ट ने रामकरण के हिस्से की आराजी में जो अपना हिस्सा था, तथा सरती चंदाकौर, चंपा, सन्तरा, का हिस्सा था को जरिये रिलीज डीड दिनांक 06.11.2012 के लालचन्द, जगरूपसिंह रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 व 02 के हक में कर दी। जिससे 1/2 भाग अपीलान्ट व 1/2 भाग रैस्पॉडेन्ट संख्या 01 व 02 लालचन्द व जगरूपसिंह का है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व अपीलान्ट तथा रैस्पॉडेन्ट द्वारा पेश राजीनामा का परिक्षण किया अवलोकन से स्पष्ट है, कि रामसिंह का हिस्सा मुताबिक हकत्याग 1/2 हुआ है। ना कि मुताबिक जमाबन्दी के 1/2 हुआ है। एवं 1/2 हिस्सा रैस्पॉडेन्ट 01 व 02 का है।

अतः तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2013 इन्तकाल संख्या 1308 निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। कि प्रकरण में तथ्यों की जांच कर पुनः विधी सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.3.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

न्यायालय अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार

नोट:- निर्णय के प्रारम्भ में निर्णय दिनांक "13-03-2017" के स्थान पर "13-03-2018" पढ़ा जावे।

27.3.18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)